प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2026**

विषय:- अनु0 सं0-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान) के अन्तर्गत किसानों को मुफ्त पानी हेतु पुनर्विनियोजन के माध्याम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-6545/अधि0बजट अनुभाग, दिनांक 06.02.2026 एवं शासनादेश संख्या-141/2025/001-566-25-27-सिं-9-31 एसएवी/25, दिनांक 24.04.2025 एवं पुनर्विनियोग शासनादेश संख्या-256/26-27-सिं-9-31 एसएवी/25, दिनांक 10.03.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पुनविर्नियोग शासनादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के लेखाशीर्षक 2701-02-001-04-00(कार्यकारी अधिष्ठान)-01 वेतन मद की बचत से लेखाशीर्षक 2701-80-800-03-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 30000.00 लाख प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

(1) विभाग जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। विभाग इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-141/2025/001-566-25-27-सिं-9-31 एसएवी/25, दिनांक 24.04.2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,00,000 (रुपये तीन अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 -26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 095 **लेखा शीर्षक** 2701808000300 नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या-97/2026/001-429-26-27-सिं-9-31 एसएवी/25, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है